न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 125/2014

बउनवान

कालूलाल पुत्र देवचन्द जाति गुर्जर निवासी खेडलीकेशो, तहसील—बारां, जिला—बारां (राज.)
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रैस्पोंडेंट)**

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री बाबूलाल जैन , अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रैस्पोंडेंट)**

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

निर्णय दिनांक— 16.03.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 24.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम मजरावता, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 169 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म—चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 210/—रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट का अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण ... करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जा... अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 12:02:36 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है तथा ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए सजायाब किया गया है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कब्जा नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अभिभाषक अपीलांट के तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलांट ने वर्णित आराजी पर संवत 2069 में भी अतिक्रमण किया था जिसे प्रकरण संख्या 610/12 निर्णय दिनांक 09.10.2012 से बेदखल किया गया था। इस प्रकार अपीलांट का वर्णित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। पटवारी हल्का के बयान से पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 169 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म–चारागाह ग्राम मजरावता पर सम्वत् 2069 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 610/12 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 170/14 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 12:02:36 IST
Reason: SelfAttested